7/1/2020 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित। रेस्पोडेंट सं0 1 बावजूद रजिस्टर्ड A.D से सम्मन भिजवाए, अनुपस्थित है जबकि उन पर विधि अनुसार सम्मन तामील हो चुकी है। उपस्थित उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलांट अभिभाषक ने बहस करते हुए अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट-वादीगण की तरफ से प्रस्तुत वाद के साथ धारा 212 RT Act के आवेदन पर पारित निर्णय/आदेश विधि-विरुद्ध है। वह ख0 नं0 80/515 रकबा 25 बीघा ग्राम नडला की रिकॉर्ड खातेदार है और उनकी तरमीम गलत है। वह रेस्पो. सं0 1 को आवंटित भूमि के एक हिस्से पर काबिज काश्त है जो उनकी पीढ़ियों से कदीमी आवंटित भूमि है

P.T.O

[illegible]

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

....बनाम..

किस्म मुकदमा RTA /LR न. सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
7/11/2020	बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act प्रार्थिया-अपीलांट मरीमों की तरफ से दि० 9/4/2018 को पेश हुआ जो दिनांक 25/4/2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाने तथा अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाने की आदेशिका है। पत्रावली तलबी हेतु आगामी दि० 4/5/2018 को मुकर्रर थी। पत्रावली में तलबाना नहीं है इससे साबित है कि अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु सम्मन ही पेश नहीं किये गए। प्रार्थिया-अपीलांट ने न्यायालय आदेशिका की पालना ही नहीं की। तत्पश्चात बिना अप्रार्थीगण को सम्मन भिजवाने की कार्यवाही के दि 19/6/18 को प्रार्थिया-अपीलांट की ओर से एक प्रार्थना-पत्र जो अहस्ताक्षरित है, धारा 212 RT Act के तहत आवेदन पर आवश्यक सुनवाई करने के निवेदन का पेश हुआ, जो पत्रावली में पृष्ठ सं० 15 पर उपलब्ध है। इस प्रार्थना-पत्र पर उसी रोज अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दि० 19/6/2018 के अनुसार प्रार्थिया-अपीलांट के वकील ने एकतरफा बहस की और संलग्न नजरी नक्शा मार्क ABCD भूमि की मौके की यथास्थिति रखे जाने के निवेदन पर "मात्र कब्जा काश्त के आधार पर इस स्टेज पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं पाया जाता है" के आदेश हुए। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन असत्य है कि "प्रार्थिनी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अप्रार्थी/रेस्पोडेंट की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, दोनो पक्षों की बहस सुनने के पश्चात प्रार्थना-पत्र खारिज फरमा दिया"। अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण को इस प्रार्थना-पत्र बाबत कोई सूचना सम्मन ही अपीलांट द्वारा नहीं भिजवाए गए। उपरोक्त अपीलाधीन आदेश एकतरफा अपीलांट के ही आवश्यक सुनवाई के निवेदन पर सुनवाई करके	

P.T.O

उनका यह भी कथन है कि संलग्न नजरीनक्शा में दर्शाये ABCD भू-भाग पर उनका कब्जा है। उनका राजस्व वाद नं. 51/2018 के संलग्न T.I आवेदन का अप्रार्थी- रेस्पोडेंट ने कोई जवाब नहीं दिया, दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने इसे यह फरमाते हुए खारिज किया कि-" अपीलार्थी के पक्ष में मात्र कब्जा दावे के आधार पर किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से इंकार करते हुए इस प्रकार से नॉन- स्पीकिंग आदेश पारित किया है। अपील के आधार बताते अधिवक्ता अपीलांट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने कानून को सही ढंग से नहीं समझा, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व सामग्री को न तो सही ढंग से पढ़ा है और न ही समझा है बल्कि इसके विपरीत जाकर अपना आदेश और अपील पारित किया है जो अपास्त योग्य है।" उन्होंने उनका प्रार्थना-पत्र अंतरिम रूप से भी स्वीकार नहीं किया। उसने अपनी तरमीम के संबंध में एक मौका रिपोर्ट को भी अपील में विवरण दिया है और उसके विपरीत तरमीम किये जाने का उल्लेख किया है। अधिवक्ता अपीलांट का यह भी कथन है कि T.I के लिए मात्र कब्जा काश्त ही आधार होता है। अपीलाधीन आदेश मात्र कोरी नोट पर केस कोर्ट से पारित आदेशों की प्रकृति का है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांट के कब्जे काश्त वाली विवादित भूमि पर रेस्पोडेंट्स के दखल को रोका जाने हेतु आदेश पारित किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में बताया कि ख.नं. 80 राजकीय सिवायचक भूमि में से रकबा 5152-16 बीघा रेस्पो. सं 1 को नियमानुसार अधिकारियों से आवंटित किया गया है। अपीलांट का खसरा नं. 80/518 रकबा 25-00 बीघा आवंटित भूमि से सर्वथा भिन्न एवं पृथक रकबा है। विवाद के गुणदोष आदि पर निर्णय लिये जाने का निवेदन किया गया। उन्होंने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एक अंतरिम आदेश है जिसकी कानूनन अपील नहीं हो सकती।

PTO

पारित किया जाना पाया जाता है। पत्रावली पर ऐसी अन्य कोई साक्ष्य नहीं है जिसको सही ढंग से पढ़ा और समझा जाए जैसा कि अपीलार्थिया ने अपील आधार में उल्लेखित किया है। अपीलांट का यह कथन भी असत्य है कि "पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व सामग्री के विपरीत जाकर अपना आदेश जेर अपील पारित किया है"। वास्तव में पत्रावली में ऐसी कोई साक्ष्य या सामग्री प्रार्थिया-अपीलांट की ओर से पेश होकर उपलब्ध हो जो उसके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के लिए पर्याप्त आधार होती हो। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड ग्राम अड़ला की जमाबंदी संवत 2072-2075 खाता सं० 169 मुताबिक मरीमो (अपीलांट) w/o बादरखां ख.नं. 80/515 रकबा 25 बीघा की खातेदार एवं खाता सं. 1 ख.नं० 80/3 रकबा 5152-16 बीघा में जरिये आवंटन मैं० सौर्य ऊर्जा कंपनी आफ राज. लि० बतौर खातेदार दर्ज है। दोनों खाते अर्थात ख.नं० 80/515 एवं 80/3 पृथक पृथक हैं। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा (पृष्ठ सं6) में स्पष्ट रूप से उसके खातेदारी ख.नं० 80/515 की तरमीम अंकित है। उसने अपनी तरमीमशुदा भूमि से हटकर ABCD के अनुसार कब्जे में भूमि होना जाहिर किया है परन्तु इसके संबंध में प्रमाण स्वरूप कोई साक्ष्य नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड को सही नहीं मानने का कोई कारण नहीं है जब तक अन्यथा साबित नहीं कर दिया जाय। दोनों पक्षों को आवंटन से खातेदारी दर्ज हुई है इसलिए अकेली अपीलांट के पक्ष में मामला प्रथमदृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु मानने के आधार नहीं है। अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य कतई नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट असद्भाविक, सारहीन और तथ्यों से परे एक अंतरिम आदेश के खिलाफ होने के कारणों से खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश त्रुटिरहित होने से यथावत रखा जाता है। आदेश खुले इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस आदेश की प्रति के साथ लौटाई जावे।